

प्रश्न सं. [क. 1457]

परिशिष्ट-

मान. विधायक – श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1457 के प्रश्नांश 'क' 'ख' एवं 'ग' की जानकारी

परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न क्र. 1457
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग,
योजनाओं की जानकारी

क्र.	योजना	योजना का विवरण	अनुदान का विवरण
1	म.प्र. नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत सौर/पवन/बायोमास/जल विद्युत ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन हेतु क्रियान्वित परियोजनाएं	निजी इकाइयों/आमजन द्वारा सौर, बायोमास, पवन, लघु जल ऊर्जा तथा अन्य नवकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित परियोजनाओं की स्थापना की जाती है। निजी इकाइयों/आमजन स्थल का सर्वेक्षण कर योग्य परियोजना की साध्यता सुनिश्चित होने पर म.प्र. नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 के अनुसार योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।	म.प्र. नवकरणीय ऊर्जा नीति- 2022 में प्रावधानित लाभ/प्रोत्साहन, निजी इकाइयों/आमजन को दिये जावेंगे।
2	भारत सरकार द्वारा मान्य नवकरणीय ऊर्जा स्रोत/तकनीक आधारित योजनाएं		
2.1	प्रधानमंत्री कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना)	यह योजना मूलतः केन्द्र शासन द्वारा लागू की गई है।	
2.1.1	पी.एम. कुसुम-अ	इस योजना के अंतर्गत, कृषकों द्वारा स्वयं के व्यय पर, स्वयं की भूमि पर 500 किलो वॉट से 2 मेगा वॉट क्षमता तक के सौर संयंत्र की स्थापना की जाती है। वर्तमान में म. प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. द्वारा इस योजना के तहत चयन, नवीन सरलीकृत पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाइन आवेदन हर माह की 1 से 15 तारीख तक लिए जाते हैं।	इस योजना में अनुदान का प्रावधान नहीं है।
2.1.2	पी.एम. कुसुम-ब	इस योजना के अंतर्गत किसानों के यहाँ सोलर पम्पों की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" लागू की गई है, जो प्रदेश में पूर्व से लागू मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना का विस्तारित स्वरूप है। उक्त योजना के अंतर्गत सोलर पम्प स्थापना हेतु किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।	इस योजना के अंतर्गत किसानों को 30 प्रतिशत राज्य शासन एवं 30 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा कुल 60 प्रतिशत सब्सिडी (अनुदान) दिये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में चिह्नित विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों (PVTG), यथा- भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदाय, के आवेदकों से 40 प्रतिशत उपभोक्ता अंश के स्थान पर केवल 5 प्रतिशत अंश लेकर "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" अंतर्गत सोलर पंप दिये जाने का प्रावधान है।


विभाग अधिकारी
म.प्र. शासन

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

निरंतर....


पूर्व पृष्ठ से :-

क्र.	योजना	योजना का विवरण	अनुदान का विवरण
2.1.3	पी.एम. कुसुम-स	इस योजना के अंतर्गत, कृषि फीडर्स को सौर ऊर्जा से ऊर्जाकृत (सोलर आइजेशन) किये जाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस हेतु किसान/निजी ईकाइयां, समय समय पर आमंत्रित निविदाओं में भाग लेकर सौर संयंत्र की स्थापना कर सकते हैं।	इस योजना में 1.05 करोड़ प्रति मेगावाट केन्द्रीय सहायता राशि का प्रावधान है।
2.2	प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना (सोलर फोटोवोल्टाइक रूफटॉप परियोजना)	<p>भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तीन घटक हैं-</p> <ul style="list-style-type: none"> • आवासीय क्षेत्र में सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना: • शासकीय भवनों पर सौर संयंत्रों की स्थापना <p>- इस परियोजना के अंतर्गत RESCO (Renewable Energy Service Company) एवं CAPEX (Capital Expenditures) मोड में सौर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट की स्थापना की जाती है। रेस्को मोड में हितग्राही संस्था को शून्य निवेश पर संयंत्र की स्थापना की जाती है। हितग्राही संस्था को संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत निविदा के माध्यम से निर्धारित प्रति यूनिट दर पर उपलब्ध होती है, जो कि हितग्राही संस्था को वर्तमान में प्राप्त होने वाली विद्युत दर से कम होती है। जबकि कैपेक्स मोड के अंतर्गत हितग्राही संस्था को परियोजना लागत का संपूर्ण व्यय वहन करना होता है। इसके पश्चात संयंत्र से उत्पादित विद्युत निशुल्क प्राप्त होती है।</p>	<p>आवासीय क्षेत्र में सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना में योजनानुसार घरेलू उपभोक्ता को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ता को 01 किलोवाट क्षमता के लिये रु. 30,000, 02 किलोवाट क्षमता के लिये रु. 60,000 तथा 03 किलोवाट एवं उससे ऊपर की क्षमता के लिये अधिकतम रु. 78,000 का प्रावधान है। तथा इसके साथ ही ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/रेसिडेन्शियल वेलफेयर एसोसिएशन इत्यादि को कॉमन फेसिलिटी हेतु 3 किलोवाट की क्षमता तक के लिये रु. 18,000 प्रति किलोवाट केन्द्रीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।</p> <p>आवासीय क्षेत्र में इस परियोजना का क्रियान्वयन विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।</p> <p>योजनानुसार शासकीय भवनों पर सौर संयंत्रों की स्थापना पर वर्तमान में अनुदान प्रावधानित नहीं है।</p>


 अनुभाग अधिकारी
 म.प्र. शासन
 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग



क्र.	योजना	योजना का विवरण	अनुदान का विवरण
		<ul style="list-style-type: none"> मॉडल सोलर विलेज भारत सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर जिले के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। 	भारत सरकार द्वारा योजनानुसार प्रत्येक मॉडल सोलर विलेज हेतु एक करोड़ रुपये दिये जाने का प्रावधान है।
2.1	पी.एम. जनमन योजना (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान)	यह योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) हेतु केन्द्र शासन द्वारा लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा 2060 परिवारों (नियमानुसार चयनित) में 1 किलो वॉट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।	इस योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा रू. 50,000/- प्रति संयंत्र एवं शेष राशि राज्य शासन द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।
2.2	सौर गर्म जल संयंत्र परियोजना	इस योजना के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में संबंधित संस्था द्वारा पूर्ण राशि जमा करने के विरुद्ध संयंत्रों की स्थापना की जाती है।	इस योजना में अनुदान का प्रावधान नहीं है।
2.3	सोलर स्ट्रीट लाइट/ होम लाइट परियोजना	इस योजना के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में संबंधित संस्था द्वारा पूर्ण राशि जमा करने के विरुद्ध संयंत्रों की स्थापना की जाती है।	इस योजना में अनुदान का प्रावधान नहीं है।
2.4	म.प्र. ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA)	इस अभियान के अंतर्गत आमजन को नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों एवं ऊर्जा की बचत के विषय में जानकारी दी जाती है एवं प्रशिक्षण के माध्यम से 'प्रमाण पत्र' प्रदान किया जाता है।	इस योजना में अनुदान का प्रावधान नहीं है।


 अनुभाग अधिकारी
 म.प्र. शासन
 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

